<u>न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948</u>

पृष्ठभूमि

देश में मजदूरी संरचना हेतु दिशानिर्देश देने के लिए 1948 में एक त्रिपक्षीय समिति अर्थात् "उचित मजदूरी संबंधी समिति का गठन किया गया था । इस समिति की रिपोर्ट भारत में मजदूरी नीति तैयार किए जाने के इतिहास में एक बड़ा कदम थी । इसकी सिफारिशों ने मजदूरी निर्धारण के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के साथ-साथ 'जीवनयापन मजदूरी', 'न्यूनतम मजदूरी ' और 'उचित मजदूरी' की प्रमुख अवधारणाएँ प्रस्तुत की ।

अनुच्छेद 39 में प्रावधान है कि राज्य, विशेष रूप से, अपनी नीति की दिशा में यह सुनिश्चित करने की ओर रखेगा कि (क) नागरिक, पुरूष और महिलाओं को समान रूप से एक पर्याप्त जीविका का अधिकार होगा और (ख) पुरूष और महिला दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन हो ।

अनुच्छेद 43 में प्रावधान है कि राज्य उपर्युक्त विधान या आर्थिक संगठन या किसी अन्य तरीके से सभी कामगारों, कृषि, औद्योगिक या अन्यथा को कार्य, एक जीवनयापन मजदूरी, जीवन का एक शालीन स्तर तथा पूर्ण आयाम सुनिश्चित करते हुए कार्यदशाएं और सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा ।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का अधिनियमन

ऐतिहासिक निर्णय

- 1920 में किसी श्री के.जी.आर. चौधरी द्वारा प्रत्येक उद्योग में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए बोर्डों के गठन के हेतु प्रस्तुत किए गए संकल्प के साथ पहल की गई ।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने 1928 में व्यापार और व्यापार के अंगों में मजदूरी निर्धारण तंत्र से संबंधित अभिसमय संख्या 26 और सिफारिश संख्या 30 अंगीकार की ।
- स्थायी श्रम समिति और भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश पर 1943 में मजदूरी और अन्य मामले जैसे आवास, सामाजिक दशाएं और रोजगार के संबंध में जांच करने के लिए एक श्रम जांच समिति नियुक्त की ।
- भारतीय श्रम सम्मेलन ने 1945 में विधेयक के प्रारूप पर विचार किया ।
- स्थायी श्रम समिति की आठवीं बैठक में 1946 में असंगठित क्षेत्र के लिए कार्य के घंटे, न्यूनतम मजदूरी और भुगतान पर छुट्टी सहित एक पृथक विधान बनाने की सिफारिश की ।

- कतिपय नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का प्रावधान करने के लिए केन्द्रीय विधान सभा में 11.4.46 को न्यूनतम मजदूरी विधेयक पेश किया गया । यह 1946 में पारित हुआ और 15.3.48 से प्रभावी हुआ ।

अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारें निम्नलिखित के लिए समुचित सरकारें हैं :

(क) अनुसूचित नियोजन अधिसूचित करना ।
(ख) न्यूनतम मजदूरी निर्धारित/संशोधित करना ।

अधिनियम में उन सभी नियोजनों की सूची दी गई है जिनमें न्यूनतम मजदूरी समुचित सरकारों द्वारा निर्धारित की जानी है।

अनुसूची के दो भाग हैं । भाग-I में गैर कृषि नियोजन हैं जबकि भाग-II कृषि में रोजगार से संबंधित है ।

अनुसूचित नियोजन की अधिसूचना के लिए मानदंड

समुचित सरकार केवल उन अनुसूची रोजगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करती है, जहां कर्मचारियों की संख्या 1000 या उससे अधिक है ।

न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/संशोधन

प्रतिमानक

प्रतिमानकों में भारतीय श्रम सम्मेलन के 1957 में आयोजित सत्र द्वारा की गई सिफारिश शामिल है ।

(i) एक कमाने वाले के लिए तीन उपभोक्ता इकाईयाँ ।
(ii) प्रति औसत भारतीय वयस्क 2700 कैलोरी की न्यूनतम भोजन आवश्यकता ।
(iii) प्रति वर्ष प्रति परिवार 72 गज कपड़े की आवश्यकता ।
(iv) सरकार की औद्योगिक आवास योजना के अंतर्गत दिए गए न्यूनतम क्षेत्र के अनुरूप किराया ।
(v) ईंधन, प्रकाश और अन्य विविध मदों पर व्यय जो कुल न्यूनतम मजदूरी का 20 प्रतिशत हो ।

अन्य मानदंड

(i) "बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा आवश्यकता, त्यौहार/समारोह सहित न्यूनतम मंनोरंजन और वृद्धावस्था, विवाह इत्यादि के लिए प्रावधान कुल न्यूनतम मजदूरी का 25 प्रतिशत भाग होना चाहिये।" उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय 1991 में रेप्टाकोस ब्रेट एंड कम्पनी बनाम उसके कामगार मामले में दिया था।

(ii) मजदूरी दर को प्रभावित करने वाली स्थानीय दशाएं और अन्य कारक।

न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण/संशोधन की पद्धतियाँ

निर्धारण

धारा 3 में समुचित सरकार को अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

संशोधन

समुचित अंतराल के बाद जो पांच वर्ष से अधिक न हो, न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन किया जाता है ।

निर्धारण/संशोधन की प्रक्रिया

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5 में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण/संशोधन के लिए दो पद्धतियों का प्रावधान किया गया है । ये हैं समिति पद्धति और अधिसूचना पद्धति ।

समिति पद्धति

इस पद्धति में समुचित सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और संशोधन, जैसा भी मामला हो, के लिए जांच करने और सिफारिशें करने हेतु समितियाँ और उप-समितियाँ बनाई जाती हैं ।

अधिसूचना पद्धति

इस पद्धति में सरकारी राजपत्र में इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रस्तावों को प्रकाशित करती है और अधिसूचना की तिथि से कम से कम दो माह बाद की कोई तिथि विनिर्दिष्ट करती है, जिस तिथि से प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा ।

अधिसूचना पद्धति में समितियों/उप-समितियों की सलाह और विनिर्दिष्ट तिथि तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद समुचित सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से संबंधित अधिसूचित नियोजन के संबंध में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित/संशोधित करती है और यह जारी किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के बाद प्रभावी होता है ।

परिवर्ती मंहगाई भत्ता (वी.डी.ए.)

1988 में आयोजित श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि मूल्यवृद्धि के प्रति मजदूरी के संरक्षण प्रदान करने के लिए इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाली वृद्धि के साथ इसे संबद्ध करते हुए एक तंत्र विकसित किया जाये । परिवर्ती मंहगाई भत्ता वर्ष 1991 से अस्तित्व में आया । यह भत्ता साल में दो बार 01 अप्रैल को और फिर 01 अक्तूबर को संशोधित किया जाता है । राज्य क्षेत्र में इस समय 26 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में परिवर्ती मंहगाई भत्ते के लिए प्रावधान किए हैं ।

प्रवर्तन तंत्र

केन्द्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों का प्रवर्तन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है । जहां तक राज्य क्षेत्र का संबंध है, प्रवर्तन का दायित्व राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र का है ।

राष्ट्रीय मजदूरी नीति

यद्यपि यह वांछनीय है कि एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति हो किंतु उसकी कोई अवधारणा निर्धारित करना कठिन है । राष्ट्रीय मजदूरी नीति पर भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न मंचों पर चर्चा की जा चुकी है । मजदूरी का निर्धारण अनेक मानदंडों पर निर्भर करता है जैसे स्थानीय दशाएं, निर्वाह व्यय और भुगतान की क्षमता भी राज्य-दर-राज्य और उद्योग-दर-उद्योग अलग-अलग होती है, मजदूरी में एकरूपता बनाए रखना कठिन होगा । नवम्बर, 1985 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन ने निम्नलिखित मत व्यक्त किए थे :-

"जब तक कोई राष्ट्रीय मजदूरी व्यावहारिक न हो, यह वांछनीय होगा कि क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी रखी जाए जिसके संबंध में केन्द्र सरकार दिशानिर्देश निर्धारित कर सकती है । न्यूनतम मजदूरी को नियमित अंतराल पर संशोधित किया जाना चाहिए और इसे निर्वाह-व्यय में वृद्धि के साथ सम्बद्ध किया जा चाहिए ।"

तद्नुसार, सरकार ने क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समितियों के गठन के लिए जुलाई, 1987 में दिशानिर्देश जारी किए थे । इन समितियों ने, जिन्हें बाद में क्षेत्रीय श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के रूप में नया नाम दिया गया, अनेक सिफारिशें की थीं जिनमें एक क्षेत्र के भिन्न-भिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी में असमानताओं में कमी, अंतर-राज्यिक समन्वय परिषद का गठन,

न्यूनतम मजदूरी निर्धारित/संशोधित करते समय पड़ोसी राज्यों के साथ परामर्श इत्यादि शामिल है ।

मजदूरी में असमानताओं को कम करने के लिए क्षेत्रीय समितियां

देश के विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी की दरों में असमानता है । यह सामाजिक-आर्थिक और कृषि-जलवायु दशाओं, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों, भुगतान क्षमता, उत्पादकता में भिन्नता तथा मजदूरी दर को प्रभावित करने वाली स्थानीय दशाओं के कारण है । न्यूनतम मजदूरी में क्षेत्रीय असमानता का कारण यह तथ्य भी है कि अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों अपने-अपने क्षेत्राधिकारों अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित, संशोधित और उन्हें लागू करने के लिए समुचित सरकार हैं । अनुसूचित नियोजनों की न्यूनतम मजदूरियों को एकरूप करने के लिए संघ सरकार ने राज्यों से क्षेत्रीय समितियां स्थापित करने का अनुरोध किया है । फिलहाल देश में पांच क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समितियां हैं जो निम्नवत हैं :-

क्षेत्र	**शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
पूर्वी क्षेत्र	पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
पूर्वोत्तर क्षेत्र	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैण्ड और त्रिपुरा
दक्षिणी क्षेत्र	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु,पांडिचेरी और लक्षद्वीप
उत्तरी क्षेत्र	पंजाब, राजस्थान,हिमाचल प्रदेश,जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली और चंडीगढ़
पश्चिमी क्षेत्र	महाराष्ट्र, गुजरात,गोवा,मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़, दादरा व नागर हवेली तथा दमन व दीव

इन क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी संबंधी क्षेत्रीय समिति की बैठकें समय-समय पर आयोजित की जा रही हैं ।

राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम मजदूरी

एक समान मजदूरी ढांचा बनाने और देश भर में न्यूनतम मजदूरी की असमानता कम करने के लिए 1991 में **राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग** की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम मजदूरी का विचार उत्पन्न हुआ है। इस आयोग की सिफारिश तथा मूल्य सूचकांकों में उत्तरवर्ती वृद्धि के कारण 1996 में राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम मजदूरी 35/-रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि को देखते हुए, केन्द्र सरकार ने इसे 1998 में बढ़ाकर 40/-रुपये प्रतिदिन और 1.12.1999 से 45/-रु. प्रतिदिन तथा 1.9.2002 से 50/-रुपये प्रतिदिन कर दिया ।

कार्यदल द्वारा सुझाए गए मानदण्डों और केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा 19.12.2003 की बैठक में इसकी स्वीकृति के आधार पर, राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम मजदूरी को पिछली बार 1.2.2004 में संशोधित कर 66/-रुपये प्रतिदिन कर दिया गया । किन्तु राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम मजदूरी को सांविधिक समर्थन प्राप्त नहीं है। राज्य सरकारों से कहा जाता है कि वे न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार निर्धारित करें कि वह किसी भी अनुसूचित नियोजन में राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम मजदूरी से कमतर न रहे । इस प्रक्रिया के कारण न्यूनतम मजदूरी की विभिन्न दरों की असमानता को कुछ हद तक कम करने में सहायता मिली है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का प्रभावी कार्यान्वयन मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और श्रम और रोजगार मंत्रालय पत्र, विचार-विमर्श, व्यक्तिगत चर्चा और दौरों के जरिए राज्य सरकार से लगातार कहता रहता है। राज्य सरकारों से नियमित रूप से लगातार कहा जाता है कि वे अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण और संशोधन कर कम से कम 66/-रुपये प्रतिदिन की राष्ट्रीय समान स्तरीय न्यूनतम मजदूरी के बराबर करें ।

केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत अनुसूचित नियोजनों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी

क्रम संख्या	नियोजन का नाम	न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन (रुपये में)
1.	कृषि	107.78
2	सड़कों का निर्माण/रखरखाव तथा भवन प्रचालन	67.43
3	भवनों का रखरखाव	67.43
4	रनवे निर्माण और रखरखाव	67.43
5	जिप्सम खानें	67.43
6	बैराइट्स खानें	67.43
7	बाक्साइट खानें	67.43
8	मैगनीज खानें	67.43
9	चीनी मिट्टी खानें	67.43
10	कायनाइट खानें	67.43
11	तांबा खानें	67.43
12	क्ले खानें	67.43
13	पत्थर खदानें	67.43
14	सफेद क्ले खानें	67.43
15	गेरू खानें	67.43
16	अग्नि क्ले खानें	67.43
17	स्टीटाइट(सोपस्टोन और टैल्क खानें)	67.43
18	एसबेस्टस खानें	67.43
19	क्रोमाइट खानें	67.43
20	कवारजाइट खानें	67.43
21	क्वारट्ज खानें	67.43
22	सिलिका खानें	67.43
23	मैग्नेजाइट खानें	67.43
24	ग्रेफाइट खानें	67.43
25	फैल्सपर खानें	67.43
26	रेड आक्साइड खानें	67.43
27	लेटराइट खानें	67.43
28	डोलोमाइट खानें	67.43
29	लौह अयस्क खानें	67.43
30	ग्रेनाइट खानें	67.43
31	वोलफ्राम खानें	67.43

32	मैग्नेटाइट खानें	67.43
33	रॉक फास्फेट खानें	67.43
34	हेमेटाइट खानें	67.43
35	मार्बल और कैल्साइट खानें	67.43
36	यूरेनियम खानें	67.43
37	अभ्रक खानें	67.43
38	लिग्नाइट खानों में नियोजन	67.43
39	ग्रेवेल खानों में नियोजन	67.43
40	स्लेट खानों में नियोजन	67.43
41	विद्युत,वायरलेस,रेडियो, टेलिविजन,टेलीफोन,टेलीग्राफ और ओवरसीज संचार की भूमिगत केबल डालने तथा ऐसी अन्य भूमिगत केबल, विद्युत लाइनें, जल आपूर्ति लाइनें, और सीवरेज पाइप लाइनें, डालने के कार्य में नियोजन	67.43
42	रेलवे गुड्स शैड में माल चढ़ाना, उतारना	67.43
43	रेलवे में एश पिट सफाई	67.43
44	पत्थर तोड़ना व पीसना	85.48
45	सुरक्षा सेवाएं*	70.00
46	झाडू-बुहारू और सफाई	अभी तय नहीं

*दरें मसौदा अधिसूचनानुसार

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936

मजदूरी अधिनियम, 1936 को उद्योगों में नियोजित श्रमिकों के मजदूरी भुगतान को विनियमित करने और अवैध कटौतियों के खिलाफ उन्हें त्वरित व प्रभावी साधन सुनिश्चित करने तथा/या उन्हें मजदूरी भुगतान में अनावश्यक विलम्ब से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था । मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के तहत मजदूरी की मौजूदा सीमा 1982 में 1600/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई थी । अधिनियम की अनुप्रयोज्यता के लिए मजूदरी सीमा को बढ़ाकर 6500/-रुपये प्रतिमाह करने और अधिनियम के जरिए भविष्य में इस सीमा को और आगे बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को शक्ति प्रदान करने तथा दाण्डिक उपबंधों को बढ़ाने आदि के लिए मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2005 को, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा 2005 के 41वें अधिनियम के रूप में 6.9.2005 अधिनियमित किया गया है। तदुपरांत, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मजदूरी संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2005 को 9नवम्बर, 2005 से प्रभावी बनाने के लिए अधिसूचना संख्या सां.आ. 1577(अ) जारी किया है।

प्रवर्तन तंत्र

केन्द्र सरकार रेलवे, खानों, तेल क्षेत्रों तथा वायु परिवहन सेवाओं में तथा राज्य सरकारें कारखानों और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अधिनियम के प्रशासन हेतु उत्तरदायी हैं। राज्य सरकारों ने मुख्य पत्तनों के मामले में केन्द्रीय औद्योगिक तंत्र के अधिकारियों को अधिनियम के प्रवर्तन हेतु निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

दाण्डिक उपबंध

अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन, जैसे अनधिकृत कटौतियों, विलम्बित भुगतानों आदि के मामले में अधिनियम में चूककर्ता नियोक्ता के विरुद्ध दाण्डिक उपबंध हैं।